न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 09 / 2017 | तारीख दायर 20-06-2017 | तारीख फैसला 31-08-22

उनवान

. केला पुत्री स्व. श्री भूधर पत्नी पूरणमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सरहेटा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल महनकर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

------:: अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सरहेटा पंचायत समिति तिजारा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सरहेटा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
2. हरभेजी
03. मेवा पुत्रीयान स्व. भूधर
04. रामरती पत्नी स्व. हीरालाल पुत्र स्व. भूधर
05. रामवती
06. पूजा पुत्रीयान रामरती पत्नी स्व. हीरालाल
07. मंजू
08. अंजू
09. राधा नाबालिगान जरिये वली सरपरस्त माता रामरती पत्नी स्व. हीरालाल जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम सरहेटा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

------:: रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व इंतकाल संख्या 751 दिनांक 25.12.1997
वाके ग्राम सरहेटा तहसील तिजारा

-:: निर्णय ::-

सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरहेटा का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरित रित किया गया है, जिससे मिन अपीलान्ट को काफी हानि उठानी पडी है जिसे रूपयों में नहीं आंका जा सकता है। धीनस्थ ग्राम पंचायत सरहेटा का आलोच्य आदेश नामान्तकरण संख्या 751 दिनांक 25.12.1997 संलग्न पत्रावली है। तक भूधर पुत्र सरूपा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सरहेटा तहसील तिजारा जिला अलवर की वाके ग्राम सरहेटा तहसील तिजारा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 93 / 0.43, 99 / 0.19, 100 / 0.32, 101 / 0.13, 106 / 0.27, 107 / 0.21, 108 / 0.21, 109 / 0.27, 367 / 0.18, 368 / 0.20, 612 / 0.48, 614 / 0.25, 624 / 0.09, 625 / 0.29, 629 / 0.11, 638 / 0.09, 639 / 0.28, 640 / 0.18, 743 / 0.05 किता 19 कुल रकबा 4.23 है0 आराजी खसरा नम्बर 650 रकबा 0.87 है0 कब्जा काश्त खातेदारी की आराजीयात थी, जो कि भूधर को विरासत में प्राप्त हुई है एवं उक्त आराजीयात दादालाई की आराजीयात है जिस आराजीयात पर अपने जीवनकाल में भूधर पुत्र सरूपा काबिज व दाखिल रहे तथा उनकी फौत के बाद मिन अपीलान्ट, मिन अपीलान्ट की माता सिरयाई, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 9

उपखण्ड अधिकारी

पिता स्व. हीरालाल काबिज व दाखिल रहे है जिसके अनुसार मिन अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 का 1/5, 1/5 हिस्सा मृतक श्री भूधर की उपरोक्त आराजीयात में निहित है। मिन अपीलान्ट की माताजी रेस्पोडेन्ट का भी देहान्त हो चुका है। भूधर फौत हो चुका है भूधर की फौत होने के बाद रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 9 के पति/पिता स्व. हीरालाल ने गलत हलफनामा पेश कर अपने नाम सीधा भूधर का हिस्सा का इन्तकाल दर्ज व मंजूर करा लिया। रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 3 व रेस्पोडेन्टान संख्या 4 लगायत 9 के पति/पिता स्व. हीरालाल ने विधि विरूद्व तरीके से नामान्तकरण दर्ज कराया है, जो नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 9 के पति/पिता स्व. हीरालाल द्वारा फर्जी व नुमाईशी तरीके से तस्दीक कराया है, जो इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भूधर के बिना वारिसान की सही जाच किये मंजूर किया गया है, जो विरूद्ध का इंतकाल हर सूरत मे काबिले खारिज है। जबकि मृतक भूधर का मिन अपीलान्ट जायज एवं विधिक वारिस है तथा मिन अपीलान्ट का मृतक भूधर की उपरोक्त आराजीयात में 1/5 हिस्सा निहित है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरहेटा का आलौच्य आदेश दिनांक 25.12.97 बाबत इन्तकाल संख्या 751 वाके ग्राम सरहेटा तहसील तिजारा जिला अलवर निरस्त किया जाकर इंतकाल हाजा मृतक भूधर के जायज एवं विधिक वारिस मिन अपीलान्ट के हक में 1/5 हिस्से का अमल दर्ज व स्वीकार किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे एवं हाल जमाबन्दी में इसी कदर अंकन किया जावें।

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि देरी को माफ करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। नोटिस की तामील के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 7 लगायत 9 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है।

पत्रावली पर अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि इंतकाल संख्या 751 दिनांक 25.12.1997 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। पुनः इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर इंतकाल संख्या 751 दिनांक 25.12.1997 को प्राप्त करने नकल व पेश करने अपील तक का समय न्यायहित में कन्डोन किया जाता है।

बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड का अवलोकन किया। अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सरहेटा के निर्णित नामान्तरकरण संख्या 751 दिनांक 25.12.1997 वाके ग्राम सरहेटा को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार तिजारा को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक के वारिसान की विस्तृत जांच कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये पुनः इंतकाल निर्णित करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3.08.20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी